



# कार्यालय उप वन संरक्षक, भरतपुर

दिनांक :12.03.2022

कमांक/एफ ( ) एफसीए /उवसं/2022/1507  
निमित्त

मुख्य वन संरक्षक  
भरतपुर

विषय:- Diversion of 248.5515 ha. Of forest Land in favour of DMG, Rajasthan in Paharpur Block A & B for mining and generation of employment and earning of revenue for Government in Bharatpur District in the State of Rajasthan. (FP/RJ/MIN/149012/2021)

सन्दर्भ:- कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हॉफ, राजस्थान जयपुर का पत्रांक F-14(mining)2021/FCA/PCCF/EDS-3 दिनांक 22.02.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि Diversion of 248.5515 ha. Of forest Land in favour of DMG, Rajasthan in Paharpur Block A & B for mining and generation of employment and earning of revenue for Government in Bharatpur District in the State of Rajasthan. (FP/RJ/MIN/149012/2021) के सम्बन्ध में सन्दर्भित पत्र से प्राप्त निम्नानुसार बिन्दुवार आक्षेप की पूर्ति कर भिजवाया जा रहा है।

| कसं. | आक्षेप  | पालना रिपोर्ट   |
|------|---|---|
| 1    | प्रस्ताव में पार्ट-1 में पैरा-1 में वन्यजीव स्वीकृति की जानकारी में प्रस्ताव वन्यजीव अभयारण्य/नेशनल पार्क/ईको सेंसिटिव जोन में नहीं होना अवगत कराया गया था, परन्तु उप वन संरक्षक की Site inspection report एवं Recommendation में 15.30 है0 वन क्षेत्र बंध बारैठा वन्यजीव अभयारण्य का होना अवगत कराया गया है। ESZ क्षेत्र में खनन गतिविधियां संभव नहीं है। अतः इस क्षेत्र को कम कर प्रस्ताव संशोधित किया जाना अपेक्षित है, इस बावत् मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान जयपुर की टिप्पणी भी ली जानी उचित रहेगी। | बंध बारैठा अभयारण्य के ईको सेंसिटिव क्षेत्र में संशोधन हेतु प्रस्ताव अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान जयपुर के स्तर पर भिजवाये जा चुके हैं। अतः यूजर एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तुत KMI अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र संशोधन हेतु भिजवाये गये ईको सेंसिटिव जोन में नहीं पडता है। |
| 2    | उप वन संरक्षक द्वारा पेड़ों की गणना 12023 दी गई है, इनमें से कितने पेड़ों को काटा जाना है तथा कितने पेड़ों को Retain किया जाना है, की अलग-अलग सूची दी जानी अपेक्षित है, दस्तावेज पर उप वन संरक्षक की सील व हस्ताक्षर नहीं है।   | यूजर एजेन्सी द्वारा पत्र कमांक SP-3 दिनांक 15.03.2022 से अवगत करवाया गया है कि 0 से 30 सेमी. तक के लगभग 6381 व 31 से 60 सेमी. लगभग 3900 तथा 61 से 90 सेमी. के लगभग 500 कुल 10781 पेड़ों को काटा जाना प्रस्तावित है। प्रति संलग्न  |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 3  | 248.5515 है0 NFL के विरुद्ध उप वन संरक्षक द्वारा 646.96 है0 की KMI दी गई है इसमें से 248.5515 है0 की KMI दी जानी है  | 248.5515 है0 की KMI अपलोड कर दी गई है।   |
| 4  | CA NFL की KMI अस्पष्ट है।  | CA NFL की KMI अपलोड कर दी गई है।   |
| 5  | उप वन संरक्षक द्वारा CA Scheme 13(iv) में NA लिखा है, जो गलत है।   | त्रुटि सही कर CA Scheme पुनः अपलोड कर दी गई है।  |
| 6  | NFL नोटिफिकेशन का जो दस्तावेज अपलोड किया है उस पर सील व हस्ताक्षर नहीं है।   | NFL नोटिफिकेशन पर सील व हस्ताक्षर कर अपलोड कर दिया गया है।   |
| 7  | NFL भूमि की Google image देखे जाने पर स्पष्ट होता है कि उस पर 1000 पौधे प्रति है0 लगाया जाना उचित नहीं है। अतः NFL में रोपित किये जा सकने वाले संभावित पौधों के उपरान्त बचने वाले पौधे DFL क्षेत्र में प्रस्तावित किये जाने अपेक्षित है। | 248.5515 ha. NFL Area rocky and refractory nature का होने के कारण इसमें 200 पौधे प्रति है0 लगाया जाना ही संभव है। अतः शेष पौधे लगाने हेतु 300 है0 CA DFL के प्रस्ताव तैयार कर अपलोड कर दिये गये हैं। |
| 8  | नोटिफिकेशन नाम से अपलोड किया गया दस्तावेज नहीं खुल रहा है  | पुनः अपलोड कर दिया गया है।   |
| 9  | बंध बारैठा अभयारण्य के नोटिफिकेशन की प्रति संलग्न है। अपलोड नहीं है।   | नोटिफिकेशन अपलोड कर दिया गया है।   |
| 10 | Safety Zone की गणना नहीं दी गई है।   | Safety Zone की गणना कर दी गई है।   |

(अभिमन्यु सहारण)  
उप वन संरक्षक  
भरतपुर